तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स अफसर	नम्बर व तारीख अहकाम जो कि हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.06.25	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 LR ACT इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि- * प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं काश्त की भूमि ख.नं. 13(2)2203 रकबा 0.13 HA वाके ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। * उपरोक्त कृषि आराजी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजी के आस-पास की भूमि के खातेदारान आये दिन प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर अवैध व अनाधिकृत रूप से ताकत के बल पर कब्जा कर अतिक्रमण करने का प्रयास करते रहते हैं। * पडौसी काश्तकार भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न किया जाता है, इसलिये प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थना → प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण	

उपखण्ड अधिकारी

हो।

द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थीनापत्र की कार्यवाही लेकर प्रार्थीगण की खातेदारी कास्त काश्त की आराजी ख.नं. 1312/1203 रकबा 0.13 HCT वाके ग्राम देवल की भूमि का चारों दिशाओं से सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा को प्रदान किये जावें।

- प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज कर अप्रार्थी को तलब किया गया।
- प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र मोजिया तबस्सुम पत्नी जावेद अहमद तथा उमा पत्नी भीमाराम सैनी को अप्रार्थी क्रम (2) व (3) के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया।
- अप्रार्थी क्रम (3) द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आवेदन 7 व नियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि —
  - अप्रार्थी क्रम (3) के स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 3115/1362

रकबा 0.1250 हैक्टेयर वाके ग्राम कैथून में स्थित है।

- प्रतिपक्षी क्रम ③ अपने खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर वर्षों से खातेदार वैधानिक रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है।

<u>प्रार्थना</u> - काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रतिपक्षी क्रम ③ द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण के खाते की भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने की सूरत में प्रतिपक्षी क्रम ③ के खाते व कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 2404/1362 रकबा 0.1250 हैक्टेयर भूमि का भी सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान [illegible] किया जावे।

- प्रतिपक्षी क्रम ② द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब दावा पत्र प्रस्तुत ना करने के कारण प्रतिपक्षी क्रम ② का जवाब का अवसर बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

अप्रार्थी सं. (1) तहसीलदार लाडपुरा द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया गया है कि –

- ख.नं. 1362/2203 के पश्चिमी दिशा में प्रार्थीगण का लगभग 0.07 HCT पर ही कब्जा है। शेष 0.06 HCT आराजी पूर्व दिशा में समीपस्थ खातेदारों के कब्जे में है।
- उपर्युक्त खसरा नम्बरान पर प्लानिंग काट रखी है तथा भूमि पड़त है, जो कि बिना रूपान्तरण कराये अवैध रूप से है।

* बहस वकील फरीकैन सुनी गई।
* हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस वकील फरीकैन पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।
* हमने धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956 से सम्बन्धित मार्गदर्शन प्राप्त किया। धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

के अनुसार –

धारा 128. सीमा विवाद – सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद भू. अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे।

* राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 सीमा विवादों के निस्तारण हेतु रीति तय करती है। लेकिन तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण अपने खाते की कुल आराजी 0.13 HCT में से 0.07 HCT पर ही काबिज है तथा शेष 0.06 HCT आराजी पर अन्य खातेदारान काबिज है।
* हमारे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण सीमा विवाद से सम्बन्धित ना होकर भूमि पर कब्जे से सम्बन्धित है, जिसमें धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राहत प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।
* उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स आज
	द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 16/10/2025 **उपखण्ड अधिकारी** **कोटा**